कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर

पत्रांक–एस0एस0ए0 / समे0शि0 / 5046 – 52 / 2023–24 दिनांक– 20-12-2023

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
समस्त स्पेशल एजुकेटर्स
समस्त नोडल टीचर (समेकित शिक्षा)
जनपद–बलरामपुर

विषय– पी0एम0 श्री0 के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के मेडिकल असेसमेण्ट कैम्प के आयोजन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक–समे0शि0/ मेडि0एसेस0कै0/ 8045/2023–24 दिनांक– 27.09.2023 के निर्देशानुसार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दिव्यांगता का आकलन कर दिव्यांगता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 2 विकास खण्डों(उतरौला,गैसड़ी) में मेडिकल असेसमेण्ट कैम्प का आयोजन किया जाना है जिसमे उतरौला विकास खण्ड के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर देहात ,बलरामपुर नगर गैण्डास बुजुर्ग ,रेहरा बाजार,श्रीदत्तगजं,उतरौला के बच्चे एवं गैसड़ी विकास खण्ड के अन्तर्गत गैसड़ी,पचपेड़वा,तुलसीपुर,शिवपुरा के पी0 एम0 श्री विद्यालय के बच्चे एवं समग्र शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चे प्रतिभाग करेगें।मेडिकल असेसमेण्ट कैम्प आयोजित कराने हेतु चिकित्सकों के दल में एक आर्थोपैडिक सर्जन, एक ई0एन0टी0 सर्जन एक नेत्र विशेषज्ञ ,एक ऑडियोलॉजिस्ट एवं एक साइकोलॉजिस्ट/साइकिट्रिशियन का सम्मिलित होना अनिवार्य है। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर यू0डी0आई0डी0 हेतु बी0आर0सी0/जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुये यूनिक डिसेबिलिटी आई0डी0 निर्गत कराया जायेगा।

– वर्तमान में कोविड 19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायें।

–स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा उनके आवंटित न्यायपंचायत के एवं नोडल टीचर द्वारा अपने विद्यालय के दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग कर प्रमाणपत्र हेतु पात्र दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया जायेगा। चिन्हांकन हेतु समर्थ एप पर पंजीकृत बच्चों के डाटाबेस की भी मदद ली जायेगी।

– जिन दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यू0डी0आई0डी0 बनवाया जाना है उन बच्चों का सम्बन्धित ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्र के कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन पर किया जायेगा। पंजीयन के समय बच्चे की फोटो,हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एवं आधार कार्ड को स्कैन कर के अपलोड करना अनिवार्य होगा।

–दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराते समय सम्बन्धित स्पेशल एजुकेटर्स को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।इस बात का विशेष ध्यान दें कि किसी भी दिव्यांग बच्चे का कोई भी विवरण गलत न भरा जाये।इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी **सम्बन्धित स्पेशल एजुकेटर्स की होगी।**

– जिन बच्चों को उपकरण की अथवा करेक्टिव सर्जरी की आवश्यकता है,उनकी भी सूची तैयार की जायेगी।

–जापानी इंसेफलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफलाइटिस सिण्ड्रोम(जे0ई0/ए0ई0एस0) से प्रभावित बच्चों को भी चिन्हांकित कर परीक्षण कराया जायेगा।

– मेडिकल असेसमेण्ट कैम्प में पी0 एम0 श्री0 के जनपद के समस्त विद्यालयो के बच्चे अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेगें, एवं समग्र शिक्षा के अर्न्तगत कक्षा–01 से कक्षा 08 तक विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे भी लाभान्वित होंगे।अतः इन बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जायेगा।

– कैम्प में बच्चों को प्रतिभाग कराने से पूर्व यू0डी0आई0डी0 हेतु दिव्यांग बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण swawlamban.gov.in पोर्टल पर कराकर पंजीकरण सं0/रसीद के साथ प्रतिभाग करायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन बच्चों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाया जाना है उनका कैम्प से पूर्व पंजीकरण करा लें तथा पंजीकरण विवरण एकत्र कर लें। मुख्य चिकित्साधिकारी ,बलरामपुर द्वारा निर्धारित तिथियां प्राप्त होते ही आपको अवगत करा दिया जायेगा।

(कल्पना देवी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलरामपुर

पृ0सं0: एस0एस0ए0/ /2023–24 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति ,बलरामपुर को सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
5. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,बलरामपुर
6. जिला समन्वयक (समे0शि0) बलरामपुर को इस आशय से कि दिव्यांग बच्चों के यू0 डी0 आई0 डी0 प्रमाणपत्र बनवाने हेतु सतत् पर्यवेक्षण करते हुये प्रमाणपत्र बनवाना सुनिश्चित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बलरामपुर